05/06/25 | अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। प्रकरण में अधिवक्ता अपीलांट को रेस्पो. संख्या 4/3 के कायम मुकाम की कार्यवाही पेश करने हेतु वर्ष 2022 से निरन्तर आज दिनांक पेशी तक आदेशित किये जाने के बावजूद अधिवक्ता अपीलांट एवं स्वयं अपीलांट द्वारा लगभग 03 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी रेस्पो. संख्या 4/3 के कायम मुकाम की कार्यवाही पेश नहीं की गई है। अधिवक्ता अपीलांट का उपरोक्त कृत्य न्यायालय के आदेशों की अवहेलना परिलक्षित होता है। अतः अधिवक्ता अपीलांट द्वारा न्यायालय के आदेशों की निरन्तर अवहेलना किये जाने के फलस्वरूप पत्रावली अदम तकमील में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

Scanned with OKEN Scanner